**भारत सरकार**
**सहकारिता मंत्रालय**

**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न सं. 3036**
**मंगलवार, 08 अगस्त, 2023/3 श्रावण, 1945 (शक) को उत्तरार्थ**

## सहकारी चीनी मिलों के मामले

**†3036. श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा :**

क्या **सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा सहकारी चीनी मिलों के विभिन्न लंबित और आयकर के मामलों को निपटाने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं?

**उत्तर**

**सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)**

'सहकार से समृद्धि' की परिकल्पना को साकार करने के लिए, कारोबार के विस्तार और सहकारी चीनी मिलों (सीएसएम) के लाभ में वृद्धि के लिए सरकार ने आयकर से संबंधित मुद्दों सहित सहकारी चीनी मिलों के विभिन्न लंबित मुद्दों के निवारण के लिए कई कदम उठाए हैं। वे निम्नानुसार हैं:

### 1. गन्ना खरीद के लिए व्यय की गई राशि के कारण कटौती प्रदान करके चीनी सहकारी समितियों को राहत।

वित्त अधिनियम, 2015 के माध्यम से आयकर अधिनियम 1961 में धारा 36 (1) (xvii) जोड़ी गई थी ताकि चीनी के निर्माण के व्यवसाय में लगी सहकारी समिति द्वारा किए गए व्यय की राशि के कारण कटौती का प्रावधान किया जा सके। यह प्रावधान 1.4.2016 अर्थात आकलन वर्ष 2016-17 से लागू हो गया। हालांकि, सहकारी चीनी मिल (सीएसएम) द्वारा गन्ना मूल्य के लिए अतिरिक्त भुगतान को किसान सदस्यों को आय वितरण और परिणामी कर देनदारियों के रूप में मानने का मुद्दा उजागर नहीं हुआ है, जिसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा दिनांक 25.10.2021 के परिपत्र संख्या 18/2021 के माध्यम से स्पष्ट किया गया था। तदनुसार, उनके द्वारा गन्ना मूल्य के लिए अतिरिक्त भुगतान पर सहकारी चीनी मिल पर परिणामी कर देनदारियों को 1.4.2016 से कम कर दिया गया था।

### 2. सहकारी चीनी मिलों के आयकर से संबंधित दशकों पुराने लंबित मुद्दों का समाधान करना

चीनी सहकारी समितियों को आकलन वर्ष 2016-17 से पहले की अवधि के लिए गन्ना किसानों को किए गए भुगतान को व्यय के रूप में दावा करने का अवसर प्रदान किया गया है। तदनुसार, 1 अप्रैल 2023 से वित्त अधिनियम, 2023 के तहत एक नई उप-धारा (19) सम्मिलित करने के लिए आयकर अधिनियम की धारा 155 में भी संशोधन किया गया है। अधिनियम की धारा 155 की उप-धारा (19) के

तहत क्षेत्राधिकार मूल्यांकन अधिकारी को आवेदन दाखिल करने के तरीके को मानकीकृत करने और उक्त धारा के तहत क्षेत्राधिकार मूल्यांकन अधिकारी द्वारा इसके निपटान के लिए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने 27.07.2023 के परिपत्र संख्या 14 के तहत संबंधित सहकारी चीनी मिलों द्वारा आवेदन करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। इससे दशकों से लंबित इस मामले में आयकर के मुद्दों का समाधान हुआ है। इससे लगभग 10,000 करोड़ रुपये की राहत मिलने की उम्मीद है।

**3. सहकारी चीनी मिलों के सुदृढ़ीकरण के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) के माध्यम से 10,000 करोड़ रुपये की ऋण योजना**

सहकारिता मंत्रालय ने 1,000 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ वित्तीय वर्ष 2022-23 और 2023-24 के दौरान कार्यान्वयन के लिए सहकारी चीनी मिलों के सुदृढ़ीकरण के लिए एनसीडीसी को सहायता अनुदान नामक एक नई केंद्रीय क्षेत्रक योजना शुरू की है। एनसीडीसी इस योजना की कार्यान्वयन एजेंसी है। इस योजना के तहत एनसीडीसी को 1000 करोड़ रुपये का अनुदान प्रदान किया जाएगा, जो इथेनॉल संयंत्रों की स्थापना या सह-उत्पादन संयंत्रों की स्थापना या कार्यशील पूंजी या सभी तीन उद्देश्यों के लिए सहकारी चीनी मिलों को 10,000 करोड़ रुपये तक का ऋण प्रदान करने के लिए 10 गुना तक अनुदान का लाभ उठाएगा।

**4. सहकारी चीनी मिलों को इथेनॉल की खरीद में वरीयता**

इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम (ईबीपी) के तहत पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा इथेनॉल खरीद के लिए सहकारी चीनी मिलों को निजी कंपनियों के बराबर रखा जाएगा।

*****